(d) if so, what are the details thereof;

(e) whether any CBI, Governmental or RBI inquiry has been conducted into the affairs of the Bank, if so, the outcome thereof; and

(f) if no inquiry into the affairs of the Bank has so far been conducted, whether Government propose to do so now, if not. the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) State Bank of Indore has reported that all loans exceeding Rs. 1 crore sanctioned by it are adequately secured by primary security and /or collateral security/third party guarantee.

(c) and (d) The Bank has reported that the allegations levelled in the news-item pertain to alleged serious irregularities in the preparation of the Annual Accounts of the Bank for the year 1992-1993, especially in the valuation of Govt, securities purchased by the Bank, fall in the market value of securities devolved on the bank on its under-writing commitment, difference in figures of deposits and advances as per balance-sheet and as shown in an in-house publication of the Bank and note forming part of accounts and auditors report. According to the Bank, its Annual Report was published after clue audit of financial statements by the Statutory Auditor and the information/data published in the Annual Accounts are correct and there is no irregularity

(e) No, Sir.

(0 In view of reply to (c) and (d) above, the Bank is of the view that the circumstances do not warrant such an enquiry.

महाराष्ट्र में किसानों को ऋण

1946. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक महाराष्ट्र में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने किसानों को ऋण दिया गया था और उन्हें कितनी ऋण राशी प्रदान की गई थी ;

(ग) ऐसे ऋण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद पृथक-पृथक कितने किसानों को एक महीने में, कितने किसानों को दो महीनों में और कितने किसानों को तीन महीनों में ऋण दिया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि किसानों को ऋण प्राप्त करने में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें समय पर ऋण नहीं मिल पाता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या जिस तरह से व्यापारी वर्ग को क्रेडिट कार्ड से तुरंत ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है, उसी तरह से किसानों को क्रेडिट कार्ड से ऋण उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली पूछे गए अनुसार सूचना प्रदान नहीं करती है। बहरहाल, जून 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) महाराष्ट्र राज्य में कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों की राशि 259.15 करोड़ रुपये की थीं। खातों की संख्या, जिनके प्रति उपर्युक्त राशि संवितरित हुई थी, 2,03,622 थीं।

बैंकों की स्थायी रूप से अनुदेश दिए गए हैं कि 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले समस्त ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000/- रुपये से अधिक वालों का 8 से 9 सप्ताह में निपटान किया जाता है। आवेदनों का तीव्रता से निपटान करने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के ऋणों के लिए एक सरलीकृत ऋण देने संबंधी प्रक्रिया अपनाई गई है। बैंकों के समस्त शाखा प्रबंधकों को, किसी उच्च प्राधिकारी के बिना संदर्भ के ही कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने की विवेकपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। ऋण के संवितरण में विलम्ब के संबंध में, यदि कोई शिकायतें होती हैं तो उन्हें सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

(ङ) और (च) : कृषकों की आसानी तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों के चुनिंदा जिलों में, सरकारी क्षेत्र के कुछेक बैंकों ने अपनी मर्जी से परीक्षण के आधार पर कृषि ऋण कार्ड शुरु कर दिए हैं। ये कार्ड उन कृषकों को दिए जाते हैं, जिन का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो ताकि वे उत्पादन संबंधी निविष्टियों की लागत को पूरा कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों ने महाराष्ट्र सहित, राज्यों के चुनिंदा जिलों में कृषि ऋण कार्ड योजना लागू कर दी है।

मशीनों के कलपुर्जों का मूल्य ह्रास

1947. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद स्थित इंश्योरेंस यूनाईटेड कम्पनी के मंडल कार्यालय ने एक ही मशीन के कलपुर्जों का मूल्य ह्रास अलग-अलग निर्धारित किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) मूल्य-ह्रास की राशियों के निर्धारण में अपनाए जा रहे नियमों का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि उनके गाजियाबाद मंडल कार्यालय ने एक ही मशीन के कलपुर्जों के मूल्य ह्रास का अलग-अलग निर्धारण नहीं किया। इस संबंध में निर्दिष्ट सीमा के अनुसार मशीन के कलपुर्जों की आयु, हालत, अनुरक्षण, प्रति पादन तथा टूट फूट के अनुसार ही मूल्य ह्रास निर्धारित किए जाते हैं।

Viability Reports of the Non-viable Projects

1948. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the viability reports of the non-viable foreign aided projects were first prepared at the time of their inception to improve the disbursement of international assistance; and

(b) if so, what action Government has taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): fa) No Sir.

(b) Question does not arise.